



भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र, दतिया, म०प्र०, 475661
Research Centre-Datia, MP, 475661



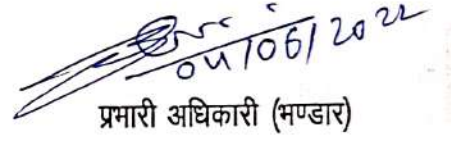
क्रमांक --- 126--/2(8)/2022-23/भण्डार/दतिया

दिनांक - 04/06/2022

निविदा सूचना

सचिव, भाकृअनुप- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से (On Behalf of Secretary ICAR, New Delhi) भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया के फार्म परिक्षेत्र, में 15.06.2023 तक के लिए मत्स्यपालन के लिए तालाब की नीलामी हेतु मोहरबंद निविदाएँ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर पोस्ट/कोरियर डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय - 27/06/2022 शाम 5:00 बजे तक
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 28/06/2022 दोपहर 11:30 बजे
3. उर्पयुक्त मत्स्यपालन हेतु तालाब की नीलामी की अन्य नियम एवं शर्तें निविदा-प्रपत्र में वर्णित हैं।
4. उक्त नीलामी निविदा-प्रपत्र का अवलोकन संस्थान की वेबसाईट www.cswcrtiweb.org पर भी किया जा सकता है तथा यह निविदा-पत्र संस्थान की इस वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी निविदा के साथ निश्चित तिथि एवं समय तक जमा कराया जा सकता है।


04/06/2022
प्रभारी अधिकारी (भण्डार)



भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र, दतिया, म०प्र०, ४७५६६१
Research Centre-Datia, MP, 475661



क्रमांक --- /2(8)/2022-23/भण्डार/दतिया

दिनांक -

निविदा प्रपत्र

सचिव, भाकृअनुप- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से (On Behalf of Secretary ICAR, New Delhi) भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, दतिया के फार्म परिक्षेत्र, में 15.06.2023 तक के लिए मत्स्यपालन के लिए तालाब की नीलामी हेतु मोहरबंद निविदाएं स्पीड पोस्ट/रजिस्टर पोस्ट/कोरियर डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय - 27/06/2022 शाम 5:00 बजे तक
➤ निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 28/06/2022 दोपहर 11:30 बजे

1. उर्पयुक्त मत्स्यपालन हेतु तालाब की नीलामी की अन्य नियम एवं शर्तें निविदा-प्रपत्र में वर्णित हैं।
2. उक्त नीलामी निविदा-प्रपत्र का अवलोकन संस्थान की वेबसाइट www.cswcrtiweb.org पर किया जा सकता है तथा यह निविदा-पत्र संस्थान की इस वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी निविदा के साथ निश्चित तिथि एवं समय तक जमा कराया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

नीलामी की शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को रुपये 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र) केवल बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में Head, Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute RC, (CSWCRTI) Datia के नाम में जमानत के तौर पर जमानत की राशी अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी जमानत राशी अधिकतम निविदाता को छोड़कर अन्यो को वापिस कर दी जायेगी।
2. निविदादाता फार्म तालाब की वस्तुस्थिति कार्यालय दिवस एवं समय पर आ कर देख सकते हैं।
3. मत्स्य को ले जाते समय प्रक्षेत्र की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति / नुकसान नहीं होना चाहिये। यदि उस अवधि में ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा प्रक्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति / नुकसान किया जाता है तो उसके लिये ठेकेदार के खिलाफ केंद्राध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वह मान्य होगा तथा उसका पालन न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
4. नीलामी अवधि दिनांक 15/06/2023 तक मान्य होगा।
5. किसी भी स्थिति में ठेके की अवधि नहीं बढ़ाई जायगी न ही ठेके की अवधि बढ़ाने का कोई आवेदन स्वीकार किया जायगा।
6. चिन्हित पॉइंट की निचली सतह से 1.5 मीटर तक तालाब में उपलब्ध पानी का उपयोग केंद्र, अनुसंधान प्रयोजन व अन्य फसलों के लिये करेगा। इसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। जल स्तर के निश्चित सीमा से नीचे (चिन्हित पॉइंट की निचली सतह से 1.5 मीटर) जाने पर केंद्र की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
7. ठेकेदार राज्य शासन, मत्स्य पालन विभाग की समय समय पर बनाये गये विधि विधानों एतन्म नियमों तथा आदेशों का पालन करना होगा तथा राज्य या केंद्र शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये कानूनों तथा आदेशों का पालन करना होगा।
8. मत्स्य पकड़ने का कार्य केवल कार्य दिवस में ही होगा। रविवार या अन्य अवकाशों में अनुमति नहीं दी जायेगी।

९. किसी भी स्थिति में ठेकेदार या अन्य मजदूरों को फार्म के मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य रास्ते से आने जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
१०. किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान पर इस केंद्र की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
११. ठेकेदार को मत्स्य पकड़ने की अवधि में तालाब से पानी निकालने की अनुमति नहीं होगी।
१२. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
१३. निविदादाता को अंतिम तिथि तथा समय के पश्चात अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
१४. सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चोथाई राशि (1/4 राशि) उसी दिन बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को जप्त कर लिया जायगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के एक सप्ताह अन्दर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायगा व जमा कराई गई 25% राशि जप्त कर ली जायगी।
१५. केंद्राध्यक्ष को निविदादाता की निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
१६. ठेकेदार को निविदा में अंकित पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी को किसी प्रकार का जान-माल का नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। तालाब के पानी, मत्स्य इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व ठेकेदार का होगा।
१७. तालाब में विभागीय परियोजनाएँ सिंचाई प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता यथानुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
१८. नीलामी किसी अन्य को स्थानांतरित अथवा विक्रय नहीं की जा सकती। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो नीलामी शेष अवधि के लिये रद्द कर दी जायगी तथा सम्पूर्ण जमा राशि को जप्त कर लिया जायगा। निविदादाता द्वारा तालाब का अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश तालाब पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो केंद्राध्यक्ष को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जल्दी की कार्यवाही की जायगी।
१९. यदि निविदा शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जायगी।
२०. सफल निविदादाता द्वारा चोथाई राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जायगी।
२१. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा पत्र मान्य नहीं होगी टेलीफोन/मेल द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
२२. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता फ़ोन नं. व Email ID अंकित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त मान ली जायगी। सम्पूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुँचेगी तो विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
२३. मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने व बंद करने की सूचना पूर्व में ही प्रेक्षेत्र अधिकारी को लिखित में देनी होगी। साथ ही मछली पकड़ने के कार्य में लगे श्रमिकों का विवरण संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
२४. निविदादाता को सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और केंद्र के साथ निविदादाता द्वारा किये गए अनुबंध का भाग मानी जायगी।
२५. निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायगा उसका प्रमाण पत्र/आधार प्रस्तुत करना होगा।
२६. नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कोई कर /सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत निविदादाता द्वारा अलग से देय होगा।
२७. ठेकेदार को कार्य पर लगाय गए सभी कर्मचारियों का पहचान पत्र जारी करना होगा तथा उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी अपने स्तर पर करना होगा।
२८. ठेकेदार को केंद्र के साथ शर्तों के अनुसार नान जुडिशियल -स्टाम्प पेपर पर अग्रीमेंट करना होगा।
२९. तालाब को मात्र मत्स्य पालन के उपयोग हेतु ही दिया जा रहा है न कि यह किसी अन्य उपयोग हेतु।
३०. मत्स्य का आखेट कर केंद्र के फार्म प्रेक्षेत्र एवं केंद्र के परिसर के सामने विक्रय नहीं कर सकते।
३१. मत्स्य बीज आवश्यकतानुसार निविदादाता स्वयं तालाब में डालेगा। प्रभारी अधिकारी प्रेक्षेत्र की उपस्थिति में निर्धारित नार्म अनुसार बीज संचय कराना आवश्यक होगा।

३२. वैज्ञानिक परिक्षण के लिये आवश्यकतानुसार निशुल्क मछली उपलब्ध करानी होगी।

३३. मछली ले जाते समय एवं पकड़ते समय केन्द्र को आकड़े एकत्रित करने हेतु मछली का वजन कराना होगा।

३४. निविदा खोलते समय इच्छुक नीलामी में भाग लेने वाले सभी निविदादाता Covid-19 के नियमों का पालन करते हुये पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे, अन्य व्यक्ति/प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित नहीं होगा।

३५. निविदा दाता द्वारा मछली ठेके की निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली गई है। उक्त सभी शर्तें मान्य है तथा मंजूरी के हस्ताक्षर अपनी राजी खुशी से बिना किसी दवाव के पूर्ण होसो हवास में किये है तथा एक प्रमाणपत्र लगाना होगा।

३६. ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले पत्राचार ओरीजनल लेटर हेड पर ही मान्य होगा।

(भगवान दाम कुशवाहा)

प्रभारी अधिकारी (भंडार)

प्रतिलिपि

- सूचना पटल एवं केंद्र के मेन गेट भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया
- प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया
- सहायक निदेशक (मतस्य) दतिया को सूचनार्थ

घोषणा

मैं, मैसर्स यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा इस निविदा-प्रपत्र में अंकित सभी नियम एवं शर्तें भलि-भांति पढ़ एवं समझ ली गयी है तथा मुझे निविदा प्रपत्र की सभी नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार हैं।

दिनांक :

फर्म/निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर/मोहर सहित यदि संभव है।

Mobile: +91-9450068380



भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र, दतिया, म.प्र., 475661
Research Centre-Datia, MP, 475661



ठेका निविदा दर

महोदय, मैं आपके केन्द्र पर प्रक्षेत्र के तालाब को एक वर्ष के लिये तक मत्स्यपालन के ठेके के सन्दर्भ में अपनी दर निम्न रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क्रमांक	विवरण	निविदा दर
1	प्रक्षेत्र के तालाब को मत्स्यपालन का ठेका आदेश जारी होने से 15/06/2023 तक	रु0 निविदा राशि शब्दों में

मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि यदि मैं ठेके की नियम एवं शर्तों जो निविदा-पत्र में वर्णित है कि अनुपालना में असफल होता हूँ तो इस ठेके के सन्दर्भ में जमा करायी गयी ठेका अमानती राशि को जब्त कर लिया जावे।

मैंने निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों को भलि भांति पढ़ एवं समझ लिया है तथा हम सभी शर्तों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पत्राचार का पता

सम्पर्क फोन नं०